

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:ई-33/नेत्र सहायक/एम-123/2019/59

दिनांक . 15/3/19

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक:ई-33/नेत्र सहायक/सीधी भर्ती/2015/337 दिनांक 24.8.2015 के द्वारा श्री सुनील कुमार वर्मा को नेत्र सहायक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। श्री वर्मा ने दो वर्ष की परीक्षा अवधि (Probation Period) संतोषजनक रूप से पूर्ण करली है एवं उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश/अनुपस्थित नहीं रहे हैं तथा कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद पाये जाने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के तहत एतद् द्वारा स्थाईकरण किया जाता है। इन्हें निम्नानुसार परीक्षा अवधि पूर्ण करने की दिनांक से वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक:एफ. 15(1)/एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 9.12.2017 के अनुसरण में पद के पे मेट्रिक्स के लेवल 5 का न्यूनतम वेतन 20800/- रुपये एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे :-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन जिला	जन्म दिनांक	कार्य ग्रहण दिनांक	प्रोबेशन पूर्ण करने की दिनांक	नियत वेतनमान दिये जाने की दिनांक
1.	श्री सुनील कुमार वर्मा	बारा	20.4.85	4.9.2015	3.9.2017	4.9.2017

कर्मचारी का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा वित्त विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 9.12.2017 में उल्लेखित प्रावधानुसार किया जायेगा।

W

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांक:ई-33/नेत्र सहायक/एम-123/2019/59

दिनांक : 15/3/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारा।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अंता, बारा।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अंता, बारा।
4. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को वास्ते अपलोड हेतु।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

W
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर